शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 5609 /सत्तर–2020–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 03 दिसम्बर, 2020

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा LMS(Learing Managemaent System) विकसित जाने के सम्बन्ध में सुझाव।

महोदय,

कोविड–19 जैसी महामारी के अनुभव से प्रतीत होता है कि भविष्य में भी समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक गतिविधियों को सुगम तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु संस्थानों को पारंपरिक शिक्षण प्रणाली के साथ–साथ अन्य गुणवत्तापूर्ण वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली को भी तैयार करने की आवश्यकता है। तद्सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में भी प्रौद्योगिकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केन्द्रित किये जाने हेतु इंगित किया गया है। संस्थानों द्वारा ऑनलाअन/डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करने का अध्ययन करते हुए उससे अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होगा। साथ ही, सभी विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्म को और सशक्त करना होगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक प्रभावी Learning Management System (LMS) बनाया जाय एवं सरल एवं आसानी से प्रयोग होने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए महत्व के दृष्टिगत ऑनलाइन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विद्यार्थियों की क्षमताओं में अभिवृद्वि के लिये निम्नलिखित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(क) – उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का अधिकाधिक उपयोगः– दिनांक 05 सितम्बर, 2020 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारम्भ किया गया। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण ई–कन्टेन्ट उपलब्ध कराए जाने हेतु शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में अधिक मात्रा में ई–कन्टेन्ट अपलोड किए जाने के लिये माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 को "विद्यादान माह" घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त लाइब्रेरी पोर्टल पर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा 68,000 से भी अधिक ई–कन्टेन्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अपलोड किए गए हैं। इस माध्यम से हर

छात्र को गुणवत्तायुक्त ई–पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हो गयी है। यह लाइब्रेरी ज्ञान का एक अनूठा संग्रहण है। इसका अधिकाधिक उपयोग छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिये।

(ख) ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययनः– ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों का उपकरणों की आदत, ई–कन्टेन्ट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि जैसे सम्बन्धित विषयों का अध्ययन किया जाय।

(ग) डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरः– भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर, विकसित, सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग कई प्लेटफार्मों और पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने न हो जाए।

(घ) ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण :– विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिये शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संचरित, उपयोगकर्ता अनुकूल, विकसित व्यवस्था प्रदान करने के लिये उपयुक्त मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाये। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिये दो–तरफा वीडियो और दो–तरफा–ऑडियो इंटरफेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है।

(ङ) सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार :– कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी के निर्माण सहित कंटेन्ट की एक डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाये, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिये उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिये एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। छात्रों के लिये मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण भी बनाये जाये। छात्रों को ई–सामग्री का प्रसार करने के लिये एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाये।

(च) डिजिटल अंतर को कम करना :– इस तथ्य को देखते हुए कि अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुँच सीमित है, मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिये बड़े पैमाने पर किया जाये। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराया जाये। स्थानीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाये और इस पर विशेष बल दिया जाये कि जहां तक संभव हो, शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुँचे।

(छ) वर्चुअल लैब्स :– वर्चुअल लैब्स बनाने के लिये मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफार्म का उपयोग किया जाये ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग–आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। एसईडीजी छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर विचार किया जाये और उन्हें विकसित किया जाये।

(ज) शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण और प्रोत्साहन :– शिक्षकों को शिक्षार्थी–केन्द्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाए और यह भी बताया जाए कि वे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग करके

उच्चतर गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का स्वयं सृजन करेंगे। ई–सामग्री के साथ–साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिये शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया जाए।

भवदीय,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–5609 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:

1– समस्त कुलपति राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के संबंध में सभी संबंधित को मार्गदर्शन देते हुये उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी की वर्चुअल बैठक दिनांक 21.12.2020 का रिकार्ड ऑफ डिस्कशन (Record of discussion)

दिनांक 21.12.2020 को श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर गठित स्टीयरिंग कमेटी की Program Structure and Curriculum of NEP-2020 विषय पर वर्चुवल मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, संकायाअध्यक्ष, कुलसचिव विशेष आमंत्री के रूप में उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त स्टेयरिंग कमेटी के सदस्यगण तथा विषय–विशेषज्ञ के रूप में एन्कर्स ने भी प्रतिभाग किया।

वर्चुअल बैठक का शुभारंभ स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती मोनिका एस0गर्ग के सुझावों/निर्देशो के साथ किया गया। महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि:–

1. कला वर्ग में 16 में से 14 विषयों का पाठ्यक्रम, विज्ञान वर्ग में 7 में से 3 विषयों का पाठ्यक्रम निर्मित किया जा चुका है। प्रबंध एवं बी0एड0 का पाठ्यक्रम री–स्ट्रक्चर किया जा रहा है। इस प्रकार 31 दिसम्बर, 2020 तक स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को संकलित करते हुए समस्त विश्वविद्यालयों के साथ पाठ्यक्रम उनके सुझावों हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
2. समस्त पाठ्यक्रमों में कौशल विकास शिक्षा को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर लिया जाय। समस्त उच्च शिक्षण संस्थान अपने जनपद में स्थित तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समन्वय कर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करें तथा सप्ताह में किसी एक दिन अपने छात्रों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञानार्जन करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करें। इस प्रकार समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक या क्लस्टर संस्थानों का निर्माण किया जा सकेगा।
3. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोजेक्ट वर्क एवं इर्न्टनशिप को अनिवार्य करना होगा। संस्थानो को अपने जनपद में स्थित एम0एस0एम0ई0 के यूनिट एवं हैंडलूम, खादी आदि के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर छात्रों को इन्टर्नशिप तथा रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करना होगा जिससे छात्रों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सकें और उन्हे भविष्य में रोजगार में सहायता प्राप्त हो सके।
4. Ethics, Moral Values, Sustainable value, Health Nutrition and Hygieneएवं Digital Awarenessजैसे विषयों को स्नातक स्तर पर अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में लागू किये जाने हेतु खाका तैयार हो गया है। इन्हे भी क्रेडिट स्कोर में सम्मिलित किया जायेगा।
5. Exit and Re-Entryको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना होगा, जिससे विद्यार्थी को एक साल के कोर्स को पूर्ण करने के उपरान्त जिस क्षेत्र में सर्टिफिकेट प्राप्त हो उसे उस क्षेत्र में समस्त जानकारी प्रदान की जा सके।

6. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उ0प्र0 राज्य के महत्वाकांक्षी जनपदों के 18 राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को इंटरनेट असुविधा को ध्यान में रखते हुए ई–कन्टेन्ट के प्रीलोडेड टैब उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। अगले शैक्षिक सत्र में अन्य राजकीय महाविद्यालयों को भी इस प्रकार की सुविधा का लाभ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जायेगा।
7. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पिछडे क्षेत्रों के राजकीय महाविद्यालयों में ई–लर्निंग पार्क बनाये जायेंगे जिसमें कम्प्यूटर, वाई–फाई तथा इंटरनेट की सुविधा 24X7प्रदान की जायेगी।
8. उच्च शिक्षण संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार पी0पी0पी0 मॉडल पर आधारित ई–सुविधा केन्द्रों की स्थापना कर सकते हैं।

तत्पश्चात् प्रो0 हरे कृष्णा द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के पाठ्यक्रम निर्धारण के विशेष सन्दर्भ में प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रो0 हरे कृष्णा द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निम्न विचार व्यक्त किये गयेः–

- सभी पाठ्यक्रम का निर्धारण में यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक नॉन–प्रेक्टिकल विषयों में थ्योरी विषय का पेपर 6 क्रेडिट का होगा तथा प्रेक्टिकल विषयों में थ्योरी विषय का पेपर 4 क्रेडिट एवं प्रेक्टिकल 2 क्रेडिट का होगा ।
- सभी विषयों / संकायों के लिए कॉमन मॉडल पाठ्यक्रम के लिए एक समिति बनाई गई है। प्रत्येक विषय के लिए, विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से विशेषज्ञों का चयन किया गया है। स्नातक के साथ–साथ परास्नातक कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक विषय में कॉमन मॉडल सिलेबस को विकसित करते हुए इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि उन छात्रों के लिए जिन्होंने उस विषय को मुख्य विषय (मेजर) के रूप में चुना है, उनके लिए मुख्य अनिवार्य और कुछ मुख्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम अवश्य उपलब्ध हों। इसी तरह, उन छात्रों के लिए कुछ गौण/वैकल्पिक पाठ्यक्रम होंगे जिन्होंने उस विषय को मुख्य विषय के रूप में नहीं लिया है।
- यह कॉमन मॉडल सिलेबस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए अनिवार्य होगा जिससे कि वे प्रत्येक मुख्य अनिवार्य/वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए सिलेबस इस तरह से विकसित करें, कि यह प्रत्येक प्रश्नपत्र की मॉडल पाठ्य–सामग्री का कम से कम 70% भाग समाहित करे। स्नातक और परास्नातक दोनों स्तरों पर सभी विश्वविद्यालयों में सभी सेमेस्टर में प्रश्न–पत्रों की योजना तथा शीर्षक निश्चित रूप से समान होने चाहिए। यह एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में क्रेडिट हस्तांतरण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। यह मुख्य पाठ्यक्रमों /प्रश्न–पत्रों वाले सभी विषयों पर लागू होता है।

- 12 वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र को प्रथम वर्ष के लिए दो मुख्य (Major) विषयों के साथ एक संकाय का चुनाव करना होगा। इस चुनाव के लिए संकाय विशेष के सन्दर्भ में पूर्व पात्रता (pre-requisites) की आवश्यकता होगी। दो प्रमुख विषयों के अलावा उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में किसी भी अन्य संकाय के एक और मुख्य (Major) विषय का चुनाव करना होगा। इसके साथ ही एक गौण/वैकल्पिक पाठ्यक्रम किसी अन्य विषय / संकाय से, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपनी अभिरूचि के अनुसार तथा एक आवश्यक सह–शैक्षणिक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।
- परियोजना कार्यक्रम तीसरे वर्ष (चौथे एवं पांचवें वर्ष) में प्रति सेमेस्टर 3 (6) क्रेडिट्स का होगा।
- अनिवार्य विषयों के रुप में खाद्य और पोषण, स्वास्थ्य और सफाई, शारीरिक शिक्षा, मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, विश्लेषणात्मक कौशल और डिजिटल जागरूकता, संप्रेषण कौशल और व्यक्तित्व विकास को जोडा गया है । जिनके पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।
- वोकेशनल/स्किल कोर्स को पाठ्यक्रमों से जोडा गया है तथा पाठ्यक्रम निर्धारण में सभी विषयों के रोजगार परक भाग को वरीयता दी गई है ।

अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों का निर्माण कर रहे एन्कर से अनुरोध किया गया कि वह अपने–अपने पाठ्यक्रमों से संबंधित विषयवस्तु से अवगत कराये।

- प्रो0 मानस पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया कि :–
  1. मैनेजमेन्ट कोर्स के समस्त कन्टेन्ट विकसित कर लिये गये हैं एवं विस्तृत कन्टेन्ट तैयार करने हेतु कार्य किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदया के स्तर से एक बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है उसके उपरान्त ही मैनेजमेन्ट से संबंधित पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान किया जायेगा।
- डॉ0 विजय कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि :–
  1. विज्ञान वर्ग में तीन विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है एवं अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है। पाठ्यक्रम के तैयार होने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- डॉ0 किशोर कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि :–
  1. कला वर्ग के 15 विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है एवं अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है। पाठ्यक्रम के तैयार होने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- प्रो0 अनीता रानी राठौर द्वारा अवगत कराया गया कि :–
  1. भाषा वर्ग में हिन्दी, संस्कृत एवं अग्रेजी विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारित कर उपलब्ध कराये जा चुके हैं अन्य उर्दू विषय के पाठ्यक्रम तैयार करने वाले सदस्य से सम्पर्क

नहीं हो पा रहा है। सम्पर्क होते ही उर्दू विषय का पाठ्यक्रम तैयार कर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा कुलपतिगण, संकायाअध्यक्ष, कुलसचिव विशेष आमंत्रियों से पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अपने–अपने सुझावों एवं विचार प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

- प्रो0 एन0के0 तनेजा, कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि:–
  1. अन्य राज्योंके विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन दे रहें हैं जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, चण्डीगढ आदि के पाठ्यक्रमों को उ0प्र0 राज्य के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जा सकता है।
  2. उ0प्र0 राज्य में सामाजिक विज्ञान, फैकेल्टी ऑफ आर्टस एवं ह्यूमेनिटिश से सम्बन्धित विषयों में पाठ्यक्रम का स्तर कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है।
- प्रो0 निर्मला एस0 मौर्य,कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि :–
  1. विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को कौशल विकास में पारंगत करने हेतु तकनीकी क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था के साथ शीघ्र एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करने जा रही है।
- प्रो0 बी0डी0 पाण्डेय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्तुतीकरण में प्रदर्शित सेलों के संबंध में पृच्छा की गयी। तद्संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्व में निर्मित सेलों का क्रियान्वयन किया जाय जैसे ऑनलाइन शिक्षा, एल0एम0एस0 आदि सेलों के लिए अलग से आधारभूत सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- डॉ0 अरूण कुमार गुप्ता, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के संबंध में पृच्छा की गयी। तद्संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम समान होगा तथा डॉ0 अरूण कुमार गुप्ता से अनुरोध किया गया कि वे अपने विश्वविद्यालय में भी न्यूनतम समान पाठ्यक्रम क्रियान्वित कर अन्य विश्वविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक विश्वविद्यालय में अपना एक सेन्टर खोलें।
- प्रो0 निरंजन सहाय द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों में भारतीय एवं स्थानीय भाषाओं को अपनाये जाने के संबंध में कार्ययोजना एवं वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में पृच्छा की गयी। तद्संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा संक्षिप्त टिप्पणी प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त डॉ0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कुमारी मायावती महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि ऑनलाइन क्रेडिट स्कोर में भी भारतीय भाषाओं के स्कोर काउन्ट होंगे।

अन्त में अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारासमस्त प्रतिभागीगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुएबैठक का समापन किया गया तथा समस्त एन्कर्स से अनुरोध किया कि वह अपने–अपने विषयों के पाठ्यक्रम तैयार कर upnepsyllabus2020@gmail.com पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जिससे पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय स्तर से प्राप्त सुझावों के अनुरूप निर्मित कर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

अब्दुल समद
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्याः–55/सत्तर–3–2021
लखनऊ : दिनांक :06 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 निजी सचिव, विशेष सचिव(श्री त्रिपाठी) उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4 समस्त सदस्यगण।
5 निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
6 अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उ0प्र0,लखनऊ।
7 श्री संजय कुमार दिवाकर, उप–निदेशक, रूसा।
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम निर्माण/निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.01.2021 का कार्यवृत्त।

दिनांक 05-1-2021 को श्रीमती मोनिका एस० गर्ग, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम निर्माण/निर्धारण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पाठ्यक्रम निर्धारण में आ रही समस्याओं एवं संस्थाओं का समाधान किया गया। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझावों से समिति के सदस्यों को अवगत कराया तथा उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार किया गया ।वैठक में निम्न विषयों पर चर्चा संपन्न हुई –

1. मुख्य विषयों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञों की समिति बनाने का निर्णय लिया गया। अन्य पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञ का चयन संबंधित संकाय के एंकर अपनी समिति के सहयोग से करेंगे तथा उसकी सूची राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराएंगे।
2. अद्यतन बनाए गए स्नातक स्तर के सभी विषयों एवं अनिवार्य कोर्स के पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिस पर सभी स्टेकहोल्डर विशेषकर राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालय के शिक्षक अपने सुझाव दे सकें। प्राप्त सुझावों को राज्य समिति एवं संबंधित एंकर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। एंकर संबंधित विषय के विषय-विशेषज्ञ से चर्चा कर आवश्यक सुझावों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लेंगे तथा पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देकर राज्य समिति को 31 जनवरी तक उपलब्ध करायेंगे।
3. सभी विषयों की पहली यूनिट में पहला पाठ संबंधित विषय की भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित रखा जाएगा। उदाहरण के लिए गणित में रामानुजम, आर्यभट्ट, इंजीनियरिंग में विश्वेश्वरैया, वनस्पति विज्ञान में जे.सी.बोस आदि।
4. सभी पाठ्यक्रमों की रेफरेंस लिस्ट में हिंदी लेखकों की पुस्तकें भी जोड़ी जाएं, जिससे छात्रों को द्विभाषी पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सके।
5. स्नातक प्रथम वर्ष से ही शोध को बढ़ावा दिया जाए जिसके लिए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में रिसर्च ओरियंटेशन को जोड़ा जाए तथा तृतीय वर्ष में प्रोजेक्ट वर्क रखा जाए।
6. अपनी भाषा में शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा शोध कार्य से संबंधित भाग में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल 50-50% होना चाहिए।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं राज्य समिति ने मैनेजमेंट विषय के विषय विशेषज्ञों के साथ अलग बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिससे मैनेजमेंट के विषय भी मल्टीडिसीप्लिनरी आधार पर बने तथा उनकी संरचना भी मूल विषयों के समान हो जाए ताकि छात्र आसानी से एक दूसरे के विषय चुन सकें।

अब्दुल समद
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्याः- 65 /सत्तर-3-2021
लखनऊः दिनांकः 07 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4 कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5 कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6 कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
7 प्रो0 पूनम टण्डन, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8 प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
9 डा0 दिनेश चन्द्र शर्मा, एसो0 प्रोफेसर, कु0 मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
10 कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।